संख्या:–2658 / VI(1) / 2019–03(05) / 2015

प्रेषक,

दिलीप जावलकर,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद,
देहरादून।

पर्यटन अनुभाग | देहरादून दिनांक 13 दिसम्बर, 2019

विषयः–पं0 दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास (होम स्टे) विकास योजना, 2018 के अन्तर्गत लाभार्थियों द्वारा बैंकों से ऋण लिये जाने पर बैंक के पक्ष में पंजीकृत किये जाने वाले बन्धक–विलेख पर लाभार्थी द्वारा भुगतान किये जाने वाले प्रभार्य–शुल्क की धनराशि की प्रतिपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–193 / 2–7–129 / 2019–20, दिनांक 16 अगस्त, 2019 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने एवं पर्यटन गतिविधियों के माध्यम से स्वरोजगार के अधिकाधिक अवसरों के सृजन के उद्देश्य से शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि पं0 दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास (होम स्टे) विकास योजना में लाभार्थियों को बैंकों द्वारा तीस लाख रूपये की ऋण सीमा तक व्यवसायिक ऋण की स्वीकृति के सापेक्ष लाभार्थी की सम्पत्ति / भूमि को बैंक के पक्ष में बन्धक रखने हेतु निष्पादित किये जाने वाले पंजीकृत बन्धक विलेख पर लाभार्थी द्वारा भुगतान किये जाने वाले प्रभार्य–शुल्क की पूर्ण राशि की प्रतिपूर्ति पर्यटन विभाग द्वारा सब रजिस्ट्रार, स्टाम्प (Sub Registrar, Stamps) के कार्यालय से प्रभार्य–शुल्क के रूप में धनराशि जमा किये जाने की पुष्टि किये जाने तथा बैंक द्वारा बन्धक विलेख की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त, की जायेगी।

2– उक्त सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्ष 2019–20 के अनुदान संख्या–26 के लेखाशीर्षक–3452–पर्यटन–80–सामान्य–104–संवर्धन तथा प्रचार–25–दीनदयाल उपाध्याय (होम स्टे) विकास योजना–25–लघु निर्माण कार्य मानक मद के नामे डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या–384 / XXVII(2) / 2019, दिनांक 04 दिसम्बर, 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(दिलीप जावलकर)
सचिव।

संख्याः- /VI(1)/2019-03(05)/2015, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड देहरादून।
2- वित्त अधिकारी, साइबर ट्रेजरी, 23 लक्ष्मी रोड, डालनवाला देहरादून।
3- आयुक्त, गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल।
4- समस्त जिलाधिकारी।
5- प्रबन्ध निदेशक, गढ़वाल मण्डल विकास निगम लि0, देहरादून।
6- प्रबन्ध निदेशक, कुमाऊँ मण्डल विकास निगम लि0, नैनीताल।
7- समस्त जिला पर्यटन विकास अधिकारी।
8- वित्त अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
9- एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर।
10- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(श्याम सिंह)
संयुक्त सचिव।

ई-मेल : tourism2015section@gmail.com